(मद्य निषेध कोषांग)

-: आदेश :-

कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन-2014 के निमित्त दिनांक 23-03-2014 को मतदान निर्धारित है। स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित कराने के निमित्त जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-135(ग) के तहत् मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से शराब की बिक्री, देने एवं वितरण पर रोक का प्रावधान किया गया है।

तदालोक में, बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 की धारा 26 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन-2014 की शुद्धता बनाए रखने के लिए आदेश देता हूँ कि, सम्पूर्ण मधेपुरा जिले के लिए दिनांक 21-03-2014 के 04:00 बजे अप0 से दिनांक 23-03-2014 के 4:00 बजे अप0 तक स्पिरिट्युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा। साथ ही स्पिरिट्युक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य नशीले पेय पदार्थों के सम्पूर्ण जिले के भीतर किसी होटल/ रेस्तरॉ/ दुकान/ किसी निजी अथवा सार्वजनिक स्थल पर न तो विक्रय किया जायेगा, न दिया जायेगा और न वितरित किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 21-03-2014 के 04:00 बजे अप0 से दिनांक 23-03-2014 के 04:00 बजे अप0 तक की अवधि को सम्पूर्ण जिले के लिए शुष्क दिवस (ड्राई डे) घोषित करता हूँ।

सम्पूर्ण जिलान्तर्गत शुष्क दिवस (ड्राई डे) की अवधि में किसी होटल/ रेस्तरॉ/ क्लब या अन्य ऐसे प्रतिष्ठान, जो शराब की बिक्री एवं पेशी करने से जुड़े हुए है, द्वारा किसी व्यक्ति को शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी अथवा उसे पेश नहीं किया जाएगा।

यह आदेश सम्पूर्ण मधेपुरा जिला के लिए प्रभावी होगा।

अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक......938....../गो0, मधेपुरा, दिनांक......21/03....../2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्पाद, बिहार, पटना/ सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, बिहार, पटना / आयुक्त, पूर्णियॉं प्रमंडल, पूर्णियॉं -सह- निर्वाची पदाधिकारी, कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र /आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा/ पुलिस उप महानिरिक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/ अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा / अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उत्पाद अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि सम्पूर्ण जिलान्तर्गत सभी अनुज्ञप्तिधारियों को विधिवत् सूचना की तामिला करवा कर इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को ई-मेल से भेजने तथा वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

21/3/14

जिला दण्डाधिकारी
मधेपुरा।

D:\Khalid\Goonja\2014\ Elec.\Koshi\Dry.doc